: : कार्यालय जिला पंचायत जिला–झाबुआ : :

क्रमांक / / शि0रथा0 / 2009 / झाबुआ, दिनांक

/ / संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–2 के नियोजन हेतु . विज्ञापन / /

व्यावसायिक परीक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा दिनांक 20.07.2008 को आयोजित " संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–2 " की पात्रता परीक्षा 2008 में अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों से जिला पंचायत अंतर्गत विद्यालयों में संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–2 के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु निम्नानुसार आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं

जिला झाबुआ हेतु कुल रिक्तियों – 210 (उल्लेखित पद कम / ज्यादा हो सकते हैं)

क्र	संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–2 के विषय	अनारक्षित		अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		योग		कुल योग (महिला / पुरुष)
		महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	विज्ञान समूह	01	01	15	16	00	00	01	01	17	18	35
2	सामाजिक विज्ञान समूह	02	02	32	32	01	01	01	02	36	37	73
3	गणित समूह	02	01	45	49	01	00	01	03	49	53	102
	कुल योग :–	**05**	**04**	**92**	**97**	**02**	**01**	**03**	**06**	**102**	**108**	**210**

नोट– **सामाजिक विज्ञान समूह के 73 पदों में अजजा. वर्ग के 02 पद अंग्रेजी विषय के सम्मिलित हैं ।**

1– म0प्र0 पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की भर्ती) नियम 2005 तथा म0प्र0 नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की भर्ती) नियम 2005 के नियम 06(07)(ख) के अनुसार आरक्षण निम्नानुसार होगां ।

अ– महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत

ब– भूतपूर्व सैनिक के लिये 10 प्रतिशत

स– निःशक्त व्यक्तियों के लिए कण्डिका–1 मे वर्णित उपरोक्त पदों में से विभिन्न प्रवर्गो के लिए विकलांगों हेतु आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक / डी / 380 / 1773 / 05 / आ0प्र0 / एक दिनांक 24.03.2006 के निम्नानुसार होगा ।

क.	संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–2 के विषय	अनारक्षित		अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		कुल	
		दृष्टि बाधित	अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	अस्थि बाधित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**विज्ञान समूह**	00	00	00	02	00	00	00	00	00	02
2	**सामाजिक विज्ञान समूह**	00	00	01	03	00	00	00	00	00	04
2	गणित समूह	00	00	02	05	00	00	00	00	00	07
	योग	00	00	03	10	00	00	00	00	00	13

(1) शैक्षणिक योग्यता एवं आयु:–

1– संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि या समकक्ष ।

2– न्यूनतम आयु 21 वर्ष अधिकतम आयु 35 वर्ष ।

(2) अर्हताएँ: 1– वे ही अभ्यर्थी संविदा शाला शिक्षक के रूप में नियोजन हेतु जिला पचायत को आवेदन दे सकेगें । जिन्होंने संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा में नियम 06 के उपनियम (5) के अनुसार न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त किये हों

2– अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों या किन्हीं अन्य वर्गों के लिये उच्चतर आयु सीमा में छुट सरकार के ऐसे नियमों के अनुसार होगीं जो नियोजन के समय प्रवृत्त हो ।

3– महिला अभ्यर्थी के लिए अन्य छुट के अतिरिक्त उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छुट रहेगी ।

4– सरकार के तत्कालीन औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों/पर्यवेक्षकों सरकारी स्कूल के लिए नियुक्त मानसेवी शिक्षकों शिक्षा गारण्टी स्कूल के गुरूजी एवं व्यवसायिक शिक्षा के अशकालीन शिक्षकों को उनकी उच्चतर आयु सीमा (35) पश्चात् 12 वर्ष की छुट प्रदान की जायेगीं ।

5– ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने संविदा शाला शिक्षक के रूप में कार्य किया है और जो संविदा शाला शिक्षक के नियोजन के लिए नये सिरे से आवेदन करेगें, वे उच्चत्तम आयु में उतनी कालावधि की छुट के हकदार होगें । जिनकी कालावधि के लिये उनके द्वारा पूर्व में संविदा शाला शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हों । इस आधार पर यह छुट अधिकतम 9 वर्ष के लिये होगीं बशर्ते उनकी संविदा असंतोषजनक कार्य के आधार पर समाप्त नहीं कर दी गई ।

6– दैनिक वेतनभोगी कर्मचारीयो को जो या तो कार्यरत हो अथवा जिनकी राज्य सरकार द्वारा छटनी की गई हो, उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के बराबर उच्चत्तर आयु सीमा में इस भर्ती के अधीन रहते हुये छुट दी जायेगीं कि अभ्यर्थी ने 40 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हैं ।

7– न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना रिक्त पदो के विज्ञापित होने के कैलेण्डर वर्ष के 01 जनवरी के संदर्भ में की जायेगी ।

8– संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन के लिए नियम की अनुसूचि 02 के कॉलम (7) की अभ्युक्तियों में उल्लेखित शैक्षणिक अर्हताएं संविदा शाला शिक्षकों के अन्य तत्स्थानी पदो के लिए भी स्वीकार्य होगीं ।

(3) निरर्हताएंः– नियम, 2005 की अनुसूची–दो का नोट (ख) निरर्हताएं में प्रावधानित नियमों अनुसार होगीं ।

(4) संविदा पारिश्रमिकः– नियम 2005 की अनुसूचि–एक के अनुसार संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–2 के लिये संविदा पारिश्रमिक (समेकित तथा प्रथम नियुक्ति पर नियत) रूपये 3500/– देय है ।

(5) अंतिम चयन सूची से नियोजन एवं संविदाः– म0प्र0 पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की भर्ती ') नियम 2005 के नियम 06 के बिन्दु कमांक 01 से 06 तक के अनुसार होगी ।

(6) चयन का मापदण्डः– मध्यप्रदेश पंचायत/नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की भर्ती) नियम 2005 तथा संशोधित नियम 2008 के नियम 6 के उपनियम (9)(क), (ग) एवं (घ) के अनुसार ।

(7) संविदा नियोजन की कालावधि एवं संविदा कालावधि में वृद्धिः– संविदा शाला शिक्षक के पद के लिये चयनित प्रत्येक व्यक्ति, किसी विशिष्ट स्कूल के लिए अधिकतम 03 वर्ष कालावधि के लिये संविदा पर नियोजित किया जावेगा । उससे इन नियमों में संलग्न परिशिष्ट में विहित किये गये प्रारूप में संविदा करने की अपेक्षा की जायेगी । प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिये नियोजनकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक संविदा शाला शिक्षक के कार्य, आचरण तथा प्रदर्शन का मूल्यांकन, यथाविहित प्रारूप में संधारित किया जावेगा । परन्तु सरकार के निर्देश पर चयनित व्यक्ति का नियोजन आवश्यकतानुसार 03 वर्ष से कम की कालावधि के लिये किया जा सकेगा एवं उसकी संविदा की कालावधि 03 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी । संविदा कालावधि में वृद्धि नियम 2005 के नियम–9 के अधिन होगीं ।

(8) पिछड़ी आदिम जनजातियों के लिए विशेश उपबंधः– नियम 2005 के नियम–7 के अनुसार होगें ।

(9) आवेदन प्राप्त होने की तिथिः– आवेदन पत्र दिनांक 18/12/2009 से कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास विभाग जिला झाबुआ में **(शासकीय अवकाशों को छोडकर कार्यालयीन दिवसों में) प्रातः 11:00 से शाम 4:00 बजे तक** प्राप्त किये जावेगें ।

(10) आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथिः– आवेदन पत्र दिनांक 18/12/09 तक कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास विभाग जिला झाबुआ में कार्यालयीन समय में प्राप्त होना अनिवार्य हैं । किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा । तथा डॉक द्वारा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र के लिये कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा ।

(11) अनंतिम चयन सूची का प्रकाशनः– अंतिम चयन सूची का प्रकाशन दिनांक 31.12.09 को **जिला पंचायत झाबुआ एवं आदिवासी विकास विभाग झाबुआ** के सूचना फलक पर किया जावेगा ।

(12) आपत्तियों का प्राप्त करनाः– यदि किसी अभ्यर्थी को अंतिम चयन सूची के संबंध में कोई आपत्ति होतो वह उक्त सूची के प्रकाशन के 10 दिवस के भीतर कलेक्टर को आपत्तियां प्रस्तुत कर सकेगा । आपत्तियों का निराकरण नियम–11 के अनुसार किया जावेगा ।

(13) अंतिम चयन सूची का प्रकाशनः– अंतिम चयन सूची का प्रकाशन दिनांक 11/1/2010 को जिला पंचायत एवं आदिवासी विकास विभाग के सूचना फलक पर किया जायेगा ।

(14) एकीकृत कांउसलिगंः– जिला मुख्यालय पर एकीकृत कांउसलिगं जिला कलेक्टर के समन्वय में नियोजनकर्ता प्राधिकारी के माध्यम से दिनांक 27/01/2010 से की जायेगीं एवं मौका स्थल पर नियुक्ति एवं संविदा की कार्यवाही संम्पन्न होगीं ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत झाबुआ